# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 12/2017 प्रार्थना पत्र

1. श्री रामा पिता देवा जी जाति गायरी उम्र 65 वर्ष निवासी गायरीयो की भागल मोलेला तहसील खमनोर जिला राजसमन्द

—प्रार्थी

**बनाम**

1. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, साहब तहसील कार्यालय खमनोर तहसील खमनोर नाथद्वारा जिला राजसमन्द

—विपक्षी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट**

**एवं 151 जा.दी.**

उपस्थित : श्री संजय माण्डोत, अधिवक्ता प्रार्थी

पेराकार सरकार उपस्थित विपक्षी।

: : **आदेश** : :

**दिनांक :—10.06.2019**

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 136 एवं 151 जा.दी. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी गरीब ग्रामीण किसान होकर मोलेला मे कृषि कार्य कर अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करता हे। प्रार्थी के पिता का नाम देवाजी होकर उनका स्वर्गवास हुये लगभग 50 वर्ष से भी अधिक हो चुके है। प्रार्थी को अपने पिता से विरासत मे राजस्व गांव मोलेला तहसील खमनोर मे खाता सं. 180 आराजी सं. 1049 रकबा 02 बिस्वा तथा खाता सं. 181 आराजी सं. 1022 रकबा 04 बिस्वा किस्म आ.चा. प्राप्त हुये है। पिता देवाजी का स्वर्गवास होने के उपरान्त विरासत से देवाजी की सम्पूर्ण कृषि भूमियो मे प्रार्थी का नाम बहेसियत खातेदार नाम अंकित हो चुका है। राजस्व अभिलेख मे आराजी सं. 1049 मे तो प्रार्थी का नाम रामा पिता देवा ही अंकित हुआ है। परन्तु लिपिकिय भूल से आराजी सं. 1022 मे प्रार्थी के पिता का नाम भैरा अंकित हो गया है। जबकि भू—प्रबन्ध विभाग के खसरा मे भी रामा पिता देवा जी ही अंकित करने का अंकन हो रखा है एवं गांव गायरीयो की भागल मोलेला मे रामा पिता भैरा नाम का कोई व्यक्ति नही है। उक्त गलत अंकन पूर्णतया लिपिकिय भूल होकर उक्त अंकन मे प्रार्थी की कोई लापरवाही या गलती नही हुई है एवं राजस्व अभिलेख विपक्षी द्वारा नियुक्त पटवारी के पास रहते है एवं इस प्रकार की गलती को दुरूस्त करने का कार्य विपक्षी का है। परन्तु विपक्षी द्वारा ऐसा नही किये जाने के कारण प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पडा। उक्त इंद्राज का शुद्धिकरण होने से विपक्षी को कोई नुकसान नही होगा। एवं राजस्व अभिलेख मे हुई गलती का सुधार हो जायेगा।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व गांव मोलेला तहसील खमनोर मे स्थित कृषि भूमि खाता सं. 181 आराजी सं. 1022 रकबा 04 बिस्वा किस्म आ.चा. मे राम पिता भैरा का अंकन शुद्ध करा रामा पिता देवा अंकित फरमाने का आदेश फरमाने का आदेश पारित फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं. 1, 2 एवं 3 अंकित तथ्य वादी स्वंय सिद्ध करे एवं बिन्दु सं. 4 से 7 अस्वीकार है। बहस अधिवक्ता पक्षकारन की सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस पर मनन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत भूप्रबन्ध विभाग के रेकर्ड खसरा सं. 1022 अनुसार ''रामा पिता देवा'' के नाम नामान्तरण स्वीकृत किया गया है और वर्तमान मे राजस्व ग्राम मोलेला की जमाबन्दी संवत् 2071–74 की आराजी सं. 1022 मे ''रामा पिता भेरा'' दर्ज है। परन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जो नामान्तरण स्वीकृत होने के पश्चात् केवल लिपिकिय त्रुटि से वर्तमान जमाबन्दी मे ''रामा पिता देवा'' के स्थान पर ''रामा पिता भेरा'' दर्ज हुआ हो।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट एवं 151 जा.दी. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है कि :–

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट एवं 151 जा.दी. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 10.6.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( निशा )
उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द